

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्र. प ३(११)नविदि/३/२०१० पार्ट-IV

जयपुर दिनांक 1 दिसम्बर 2022

आदेश

विषय.— राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में संशोधन मागत।

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 में किसी योजना में आश्रित विषय गोश्व
सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता के आवेदन पर आवासीय आश्रित दर पर प्रत्यक्ष सुविधा को
विकास के लिए विकासकर्ता को आवंटित किया जाने का प्रावधान है। इस संबंध में
विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.05.2012 को प्रत्याहृत किया जाकर निम्नानुसार
प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

टारनशिप पॉलिसी, 2010 के तहत अनुमोदित टारनशिप योजनाओं का विज्ञापन योग्य सुविधा क्षेत्र विकासकर्ता द्वारा आवेदन किये जाने पर योजना/आस-पास की योजना को आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित दर पर सुविधा के विकास हेतु आवंटित किया जायेगा। विकासकर्ता द्वारा योजना अनुमोदन की तीन माह की अवधि में आवेदन हेतु आवेदन परसृत किया जायेगा। विकासकर्ता योजना में जिस प्रयोजनार्थ भूमि आरक्षित है के अनुरूप सुविधा क्षेत्र का विकास करेगा।

यदि विकासकर्ता सुविधा क्षेत्र आवेदित किये जाने का आवेदनक त अथवा तीन माह की निर्धारित समायवधि में नगरीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत नहीं करता है तो सम्बन्धित नगरीय निकाय इस हेतु आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाकर अन्य इच्छुक व्यक्ति / संस्थाओं को योजना अनुसार आरक्षित सुविधा क्षेत्र के विकास हेतु नियमानुसार आवेदन पत्र स्वीकार जिन विकासकर्ताओं द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 03.05.2012 जारी होने के पश्चात् आवेदन हेतु आवेदन कर दिया गया था त उस पर आवेदन आदेश जारी हो गये हैं तो उन पर विभागीय आदेश दिनांक 03.05.2012 की शर्त लागू होगी तथा जिन आवेदनों पर निर्णय नहीं हुआ हो वे इस आदेश के अन्तर्गत वर्णित शर्तों के अनुसार निम्नलिखित विधि जावे।

अथवा (१) अथवा (२)

संयुक्त शासन सचिव-पुणे

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निजी राधिव, माननीय मंत्री महोदय, नारायण विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2 आगुल, जयपुर / जोधपुर / नागौर विकास प्राधिकरण, जयपुर / जोधपुर / नागौर।
3 आगुल, राजस्थान सरकार, जयपुर / जोधपुर / नागौर।
4 मूल्य कमर, निजी राधिव, नारायण विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
5 साहित्य, जयपुर, निजी राधिव, नारायण विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
6 निजी राधिव, जयपुर, निजी राधिव, नारायण विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
7 निजी राधिव, जयपुर, निजी राधिव, नारायण विकास विभाग, राजस्थान सरकार।

संयुक्त शासन अभिवृत्त-सूची-२